

छ.ग. राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, रायपुर

तृतीय तल, कंकाली नगर निगम चिकित्सालय परिसर, ब्राम्हण पारा, रायपुर(छ.ग.)

Email ID - cgsawb@gmail.com

कमांक 321 /तक./जी.ज.क.बो./2020-21

रायपुर, दिनांक 13.07.2020

प्रति,

संयुक्त/उप संचालक सह सदस्य सचिव
पशु कूरता निवारण समिति
जिला - समस्त (छ.ग.)

विषय:- मुर्गीपालन व्यवसायिकों द्वारा अवांक्षित चुजों को मारने के कूर एवं अवैध तरीकों पर प्रतिबंद लगाने के संबंध में।


संदर्भ :- 1.मुख्य कार्यकारी अधिकारी PETAका ई- मेल दिनांक 03.07.2020
2.PETA द्वारा दूरभाष पर दिये गये निर्देश।

—00—

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार लेख है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मुर्गीपालकों को अवांक्षित चुजो को मारने के कूर एवं अवैध तरीको पर प्रतिबंद लगाने हेतु निम्न कदम उठाने की आवश्यकता है -

1. राज्य में पोल्ट्री (हैचरी) उद्योग द्वारा अवांक्षित चुजों को मारने के सभी अवैध एवं कूर तरीकों पर प्रतिबंध किया जाये एवं अवांक्षित नर चुजों को इच्छामृत्यु देने के लिए नाइट्रोजन एवं इनर्ट गैस का उपयोग करने की विधि अपनाई जाये।
2. एक दिन के नर चुजों को मारने की प्रथा पर रोक लगाये एवं व्यवसायिक रूप से भविष्य में OVO सेक्स निर्धारण के तरीके उपलब्ध होने पर संबंधितो को अपनाने हेतु निर्देशित किया जाए।


अतः उपरोक्त वर्णित विधि का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए एवं अनचाहे चुजों को मारने में AWBI, एवं OIE द्वारा अनुसंधित विधि का उपयोग कराया जाए।


संयुक्त संचालक, प.चि.से.
छ.ग राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड,
रायपुर(छ.ग.)

कमांक 322-323 /तक./जी.ज.क.बो./2020-21
प्रतिलिपि -

रायपुर, दिनांक 13.07.2020

- 1.संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, छ.ग., नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी छ.ग. शासन पशुधन विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ।


संयुक्त संचालक, प.चि.से.
छ.ग राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड,
रायपुर(छ.ग.)